न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

प्र. संख्या 217/18 अपील नि. 4/S करकारा

26.3.19 एकलपीठ उप./पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर/अवकाश पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 24.6.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

24.6.19 वकील श्री द्वारा पूर्व आदेश की पालना की गई। नियत 17.7.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)

17.7.19 वकील श्री द्वारा पूर्व आदेश की पालना की गई। नियत 20.8.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)

20.8.19 वकील श्री द्वारा पूर्व आदेश की पालना की गई। नियत 22.10.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)

22.10.19 वकील श्री द्वारा पूर्व आदेश की पालना की गई। नियत 26.11.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)

26.11.19 निर्णय

वकील श्री अब्दुलकलीम अंसारी ने धारा 4/5 (1), 128 2 RAC के तहत पेश किया निवेदन जिसमें दावा रु. 1520 का 2.43 है का बटवारा दि. 19.5.46 को आपसी राजीनामा 154/15 के तहत आपसी बटवारा में आया। 748 मीटर जिसमें अपील कर्ता की काश्त की 1520 का 0.78 है, 5045/1520 का 0.54 है, 5043/1520 का 1.02 है, 5044/1520 का 0.09 है यानी 15 बिस्वा परन्तु यह आपसी बटवारा में 0.78 है का 15 बिस्वा जो 5044/1520 का 0.09 है का शामिल नहीं है। इसकी पत्रावली कार्यालय में लम्बित है। इसका भी बटवारा करवाया जाए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मेड़ता के आदेश दिनांक 17.5.19 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वह विवादास्पद 1520 का सीमांकन पक्षकारों को सुनकर निर्णय द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई विवाद नहीं है। तहसीलदार पूर्व आदेश की पालना पत्रावली विशेष शुल्क (अपील का 1 गुणा का कार्यालय) दाखिल दर्ज (है)

(के. आर. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.05 12:57:13 IST
Reason: SelfAttested